भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3141

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के तहत निर्मित आवासों का आवंटन

3141. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत आवंटित आवासों की राज्य-वार संख्या कितनी है:

(ख) क्या निर्धारित समयावधि में बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए हैं;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित नहीं किए गए हैं; और

(ङ) ऐसे आवंटन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ड.) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना -शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य राजस्थान सहित देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, इस मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 112.16 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। देश भर में 14.07.2025 तक, इनमें से 93.61 लाख आवास पूरे किए जा चुके/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्थान सहित, पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए जा चुके आवासों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पद्धति और कार्यान्वयन पद्धति में बिना बदलाव किए इस योजना को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को अगले पाँच वर्षों में किफायती लागत पर आवास उपलब्ध कराने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों, अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में

किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, अब तक इस मंत्रालय द्वारा कुल 7.09 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 36,287 आवास राजस्थान राज्य में स्वीकृत किए गए हैं।

आवासों/परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होती है और योजना के विभिन्न घटकों में और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के अनुसार, इसमें आमतौर पर 12-36 महीने लगते हैं। आवासों के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें भार-मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधि की व्यवस्था आदि शामिल हैं। यह मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है।

*****

दिनांक 07.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3141 के उत्तर में उल्लिखत अनुलग्नक,

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-25) के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**स्वीकृत आवास**					**निर्माणाधीन आवास**					**निर्मित आवास**				
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	4,04,257	3,53,188	1,92,669	50,144	31,719	6,26,995	4,47,897	2,05,411	12,897	617	93,641	59,402	2,86,987	2,18,500	96,415
2		बिहार	33,866	9,478	2,206	12,993	1,00,124	51,717	69,317	17,783	9,031	7,071	23,494	12,369	21,704	11,223	60,878
3		छत्तीसगढ	29,637	49,096	39,132	3,951	-	23,362	34,921	30,233	29,804	4,675	48,369	13,605	35,926	43,389	34,726
4		गोवा	1,576	309	330	-	-	1,576	311	331	-	-	1,577	309	331	-	1
5		गुजरात	1,45,837	1,73,789	1,42,227	11,926	-	1,43,645	1,74,416	1,46,528	12,322	5,152	1,64,422	1,63,854	1,99,047	28,954	39,297
6		हरियाणा	13,043	7,269	5,142	-	15,256	24,712	9,740	5,649	1,245	1,079	18,873	7,031	13,508	3,712	2,937
7		हिमाचल प्रदेश	2,282	2,477	1,117	355	-	2,280	2,473	1,111	267	101	2,052	1,682	2,155	1,003	1,075
8		झारखंड	14,259	57,847	6,625	-	-	18,039	38,669	22,057	4,813	672	23,916	10,864	15,774	17,136	17,644
9		कर्नाटक	44,642	52,374	13,753	17,073	-	42,296	71,475	22,264	12,557	23,862	60,001	32,825	43,045	30,789	52,544
10		केरल	15,934	25,679	13,877	7,752	-	14,803	11,194	16,597	7,626	8,606	22,550	8,041	14,823	7,350	12,693
11		मध्य प्रदेश	63,453	1,79,020	66,380	9,502	-	1,17,424	77,031	1,65,888	17,417	5,692	1,09,060	62,206	1,75,209	1,11,350	88,221
12		महाराष्ट्र	1,84,175	2,10,547	1,20,894	28,700	-	2,04,360	1,69,245	2,19,621	25,623	85,432	1,53,434	1,89,671	1,81,361	38,183	1,32,602
13		ओडिशा	18,696	54,103	1,319	18,769	5,328	24,767	16,692	27,878	9,345	10,568	26,013	10,350	27,734	12,785	18,989
14		पंजाब	13,123	9,691	24,284	-	-	25,977	21,301	10,416	7,253	7,081	16,298	10,327	23,124	8,926	15,272
15		राजस्थान	36,014	33,511	88,382	37,686	23,882	38,160	33,704	59,139	36,451	36,661	35,920	32,100	35,518	10,253	42,699
16		तमिलनाडु	84,440	69,667	31,742	10,557	-	94,124	37,170	57,877	17,532	7,225	1,20,143	51,877	84,296	40,287	42,891
17		तेलंगाना	49,234	17,225	7,704	-	1,13,681	43,264	14,546	10,542	-	-	87,246	22,778	14,375	1,541	289
18		उत्तर प्रदेश	2,26,521	1,26,242	1,26,137	1,57,369	55,895	2,20,290	2,29,013	95,037	1,51,969	47,040	3,00,775	2,77,508	2,06,465	1,99,690	2,32,576
19		उत्तराखंड	6,313	13,144	11,681	2,941	-	5,385	7,914	16,058	6,515	7,382	5,354	5,489	4,329	4,407	6,901
20		पश्चिम बंगाल	1,10,331	1,28,545	12,264	-	-	50,528	80,651	1,21,547	36,399	11,660	70,570	23,706	81,647	50,351	64,814
उप-योग (राज्य)			**14,97,633**	**15,73,201**	**9,07,865**	**3,69,718**	**3,45,885**	**17,73,704**	**15,47,680**	**12,51,967**	**3,99,066**	**2,70,576**	**13,83,708**	**9,95,994**	**14,67,358**	**8,39,829**	**9,63,464**
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	26	2,110	8	-	5,311	26	850	1,274	-	-	470	556	3,193	1,498	641
22		असम	17,558	32,608	9,526	13,542	-	42,531	22,007	29,422	9,651	12,753	10,201	15,682	36,483	19,542	24,134
23		मणिपुर	11,465	5,571	21	-	-	5,075	1,794	8,675	1,056	1,787	1,580	430	5,690	2,934	3,085
24		मेघालय	55	6	4	-	-	100	2,393	447	26	261	57	265	430	144	678

25		मिजोरम	9,440	860	270	-	-	6,336	12,178	9,469	94	195	1,394	1,026	1,518	1,927	16,571
26		नागालैंड	3,370	3	1	-	-	5,792	6,910	680	-	21	1,742	2,692	6,427	7,344	9,207
27		सिक्किम	97	37	26	-	-	99	37	26	3	-	97	37	26	-	-
28		त्रिपुरा	9,211	7,887	4,497	6,505	-	9,002	9,734	9,037	1,588	3,608	10,281	2,887	7,369	8,619	5,541
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)			**51,222**	**49,082**	**14,353**	**20,047**	**5,311**	**68,961**	**55,903**	**59,030**	**12,418**	**18,625**	**25,822**	**23,575**	**61,136**	**42,008**	**59,857**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	348	1	1	-	-	19	330	1	-	-	23	1	3	-	-
30		चंडीगढ़	406	141	128	-	-	406	141	128	-	-	406	141	128	-	-
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1,884	1,132	1,342	-	-	1,884	1,134	1,602	-	-	1,928	1,193	2,325	470	270
32		दिल्ली	6,271	1,807	2,669	-	-	6,271	1,807	2,669	-	-	6,271	1,807	2,669	-	-
33		जम्मू और कश्मीर	1,215	10,260	266	3,677	1,272	3,516	10,043	266	1,161	2,735	2,374	3,828	6,622	3,626	9,127
34		लद्दाख	45	-	3	-	-	188	-	3	-	-	96	132	106	139	89
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	2,249	1,740	457	1,810	447	2,434	1,381	457	1,212	1,106	2,187	1,073	2,032	1,270	1,628
उप-योग (संघ राज्य क्षेत्र)			**12,418**	**15,081**	**4,866**	**5,487**	**1,719**	**14,718**	**14,836**	**5,126**	**2,373**	**3,841**	**13,285**	**8,175**	**13,885**	**5,505**	**11,114**
कुल			**15,61,273**	**16,37,364**	**9,27,084**	**3,95,252**	**3,52,915**	**18,57,383**	**16,18,419**	**13,16,123**	**4,13,857**	**2,93,042**	**14,22,815**	**10,27,744**	**15,42,379**	**8,87,342**	**10,34,435**